तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख कार्यवाही जो हुक्म की तामील में जारी हुए
30/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी उप० अप्रा० 1 व 2 की ओर से जवाब प्राप्त पेश, प्रति दिलायी। अवलोकन किया। अप्रा० 3 का जवाब अवशेष बन्द किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दि. 20/03/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 30/1/25	
20/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी उपस्थित। बहस अप्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र धारा 212 R.T. Act 22/04/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 20/3/25	
22/04/2025	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। धारा 212 RT Act को adjudicate करने के लिये इसे निम्न तीन बिन्दुओं पर जाँचना आवश्यक है :- (अ) प्रकरण प्रथम [illegible] :- [illegible] द्वारा बहस के दौरान [illegible] किया [illegible] ग्राम [illegible] पटवार हल्का [illegible] खसरा नं० 422/97 रकबा 01 बीघा [illegible] प्रार्थी [illegible] लाल व इनके भाई अप्रार्थी क्रम 2 रमेशचन्द की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी। बाद[illegible] आपसी दोनो भाईयों	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:50:01 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

को, शामलाती आराजी के विभाजन की कोई विधिक बटवारा नहीं हुआ था लेकिन सहखातेदार अप्रार्थी क्रम 2 ने बिना खाता विभाजन कराये उक्त शामलाती भूमि को अपने हिस्से का बेचान अजनबी क्रेता अप्रार्थी क्रम 1 को कर हिस्सा विशेष पर कब्जा सौंप दिया जबकि किसी अजनबी क्रेता (Stranger purchaser) को खाता विभाजन होने तक ऐसी भूमि पर प्रवेश कर कब्जा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होता है। अभि0 प्रार्थी ने आगे तर्क किया कि Transfer of property Act की धारा-44 के अनुसार भी अजनबी क्रेता खाता विभाजन होने से पूर्व कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता है। अत: प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में ~~सर्वबल~~ है।

अभि0 अप्रार्थीगण ने उक्त बहस का पुरजोर विरोध करते हुऐ कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 2 सगे भाई है और दोनो ने अपनी भूमि ख0न0 75, 76, 77/386, 78, 95/387, 65/384 व 482/97 का वर्षों से पारिवारिक समझौते से (oral) मौके पर बंटवारा कर अपने-अपने हिस्से पर कब्जा-काश्त चले आ रहे थे। सहखातेदार अप्रार्थी क्रम 2 ने अपने हिस्से व कब्जे की आराजी ख0न0 482/97 में से 1 बीघा भूमि का बेचान अप्रार्थी 1 को कर वर्ष 2016 में ही मौके कब्जा सौंप दिया था। अप्रार्थी 1 नामांतरण नामा स0 519 दिनांक 20/10/2016 से रिकार्ड सहखातेदार दर्ज होकर मौके पर 08 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रत्येक सहखातेदार को अपने दर्ज हिस्से का बेचान (sale) करने का पूरा हक व अधिकार होता है।

अभि0 अप्रार्थीगण ने [illegible] कि प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम [illegible] विवाद नहीं है और [illegible] वादग्रस्त भूमि को [illegible] पर [illegible] जाकर शांतिपूर्वक काबिज है। अत: रिकार्डेड सह-खातेदार के विरूद्ध Temporary injection जारी नहीं किया जाता है। अत: प्रकरण प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
	बहस उभयपक्ष में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र में मुख्य अनुतोष " बिना खाता विभाजन कराये सहखातेदारों की आराजी पर अप्रार्थी क्रम 1 को प्रवेश नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का है"। ग्राम डुमाड़ियाखेड़ी की वादग्रस्त आराजी की वर्तमान जमाबंदी के अनुसार अप्रार्थी क्रम 1 ख०न० 422/97 रकबा 0.2529 hect में हिस्सा ½ का रिकार्डेड सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी क्रम 1 वर्ष 2016 से रिकार्डेड सहखातेदार चला आ रहा है। अप्रार्थी क्रम 1 ने यह भूमि अप्रार्थी क्रम 2 से पंजीकृत रजि० विक्रय पत्र क्रय की थी। It is well settled legal position है कि एक सहखातेदार अपने हिस्से (share) की भूमि का बिना खाता विभाजन कराये बेचान तो कर सकता है लेकिन क्रेता को किसी भाग विशेष पर कब्जा नहीं सौंप सकता। उभयपक्ष के मध्य यह तथ्य (fact) अविवादित है कि वादग्रस्त भूमि ख०न० 422/97 पर वर्तमान में अप्रार्थी क्रम 1 ही फसल काश्त कर रहा है और दोनों पक्षों ने मध्य में (मेड़ पर) डीवार भी बना रखी है अर्थात वर्तमान में क्रेता - अप्रार्थी क्रम 1 ने वादग्रस्त भूमि पर प्रवेश कर कब्जा काश्त कर ही लिया है। कब्जे को लेकर विवाद (dispute) या लड़ाई झगड़े का भी कोई साक्ष्य भी किसी पक्ष ने पेश नहीं किया है। प्रार्थी, जो कि एक सहखातेदार है, के भी एक निश्चित भाग पर काबिज काश्त होना बहस से जाहिर होता है। अत: वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा जबरन कब्जा करना जाहिर नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन से [illegible] दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में [illegible] प्रकरण प्रथम [illegible] (ब) सुविधा का संतुलन [illegible] 2016 से रिकार्डेड सहखातेदार [illegible] अप्रार्थी वर्ष [illegible] होकर मौके पर काबिज काश्त चला आना जाहिर है। प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा अपने - अपने हिस्सों (मौके पर) के मध्य डीवार भी कर ली है, मौके पर कोई लड़ाई	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] जिला [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:50:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कब्जा होना भी साबित नहीं किया है। अप्रार्थी काश्तकार आराजी का भी नाम, निर्विवाद रूप से बटवारा नहीं हुआ है, अप्रार्थी मौके पर बटवारे होना जाहिर होता है। या : ऐसी परिस्थिति में अप्रार्थी क्रम 4 की खातेदारी भी नहीं माना जा सकता है। एवं सह-खातेदार द्वारा उसी खातेदारी के हितों के विरुद्ध भी कोई कार्य या निर्माण भी नहीं किया जा सकता। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्र० पत्र में अप्रार्थी क्रम 4 पर आराजी भूमि को wastage, damage or alienate करने के आरोप भी नहीं लगाये है। अप्रार्थी ने कोई disputed land को remove or dispose करने की कार्यवाही का भी अंकन भी नहीं किया है। प्रार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश जारी करने से प्रार्थी को अधिक सुविधा होना जाहिर नहीं है और इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।	
	(स) अपूरणीय क्षति :- अप्रार्थी द्वारा disputed property को waste, damage or alienate or dispose करने की कोशिश करने या निर्विवाद निर्माण करने बाबत जाहिर नहीं होने से एवं 9 वर्षों से काबिज काश्त होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना जाहिर नहीं होती है।	
	उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्र० पत्र u/s 212 RT Act खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] से कम होकर मुताबिक [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:50:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner